कार्यालय नगर पंचायत बिशारतगंज, बरेली।

पत्रांकः— ५०२५ /न0पं0बि0/2020—21 दिनांकः— 15/10/2020

अल्पकालीन निविदा सूचना

समस्त ठेकेदारों/फर्मो को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत बिशारतगंज बरेली में स्व0भा0मि0 व रा0वि0आ0 की धनराशि से निर्माण/विकास कार्यों हेतु निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र इस कार्यालय से दिनांक— 27/10/2020 को समय 10:00 बजे से 04:00 बजे तक नकद मूल्य पर क्रय किये जा सकते हैं। सीलबन्द निविदायें दिनांक— 28/10/2020 को समय 01:00 बजे अपरान्ह तक कार्यालय में रखे टेण्डर बॉक्स में डाली जा सकती हैं। निर्धारित समय के बाद प्राप्त किसी भी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदायें उसी दिनांक को अपरान्ह 03:00 बजे ठेकेदारों की उपस्थिति में अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) महोदय, बरेली के कार्यालय में खोली जायेंगी। अवकाश होने पर अथवा सक्षम अधिकारी के बाहर होने की दशा में निविदाएं अगले कार्य—दिवस में खोली जायेंगी। बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। कार्य सम्बन्धी विवरण व अन्य शर्तें किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में देखी जा सकती हैं।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित आगणन धनराशि (लाख रू0 में)	10% धरोहर धनराशि	निविदा मूल्य मय जी0एस0टी0	कार्य अवधि
01	मजार के पास से एम0आर0एफ0 सेन्टर तक खण्डंजे स्तर तक नवनिर्माण कार्य।	997304	99730	1180	01 माह

नोटः— नगर पंचायत की शर्तें/प्रतिबन्ध निम्नवत हैं—

1. ओवर राईटिंग/कटिंग एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
2. उपरोक्त कार्य के लिए निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर राशि(अग्रिम जमानत)नकद कार्यालय न0पं0 बिशारतगंज, में रसीद कटाकर जमा करना अनिवार्य है।
3. कुल 10 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि से 05 प्रतिशत जमानत धनराशि 05 वर्ष तक बन्धक रहेगी, शेष 05 प्रतिशत जमानत धनराशि शासनादेश के अनुसार कार्य सन्तोषजनक होने की स्थिति में वापिस की जायेगी।
4. निविदा प्रपत्र के साथ हैसियत, जी0एस0टी0, टी—4, टी—5, टी—6 का प्रमाण—पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, लेबर पंजीकरण, पेनकार्ड, 04 वर्ष का आई0टी0आर0, आई0एस0ओ0 प्रमाण—पत्र, ई0पी0एफ0, ई0एस0आई0सी0 आदि की स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. ब्लैक लिस्टेड तथा अन्य कारणों से बहिष्कृत ठेकेदारों/अधिकृत फर्मों/सप्लायर्स की निविदा मान्य नहीं होगी।
6. शासनादेश संख्या— 3890/नौ—5—19—149सा./2019 का अनुपालन करना अनिवार्य है।
7. शासनादेश संख्या— 622/23—12—2012—2 आडिट/08टी0सी0—2 लखनऊ दिनांक— 08.06.2012 का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
8. ठेकेदारों को कार्य प्रारम्भ से पूर्व एवं प्रारम्भ करने पर तथा कार्य पूर्ण होने के पश्चात फोटोग्राफी कराना अनिवार्य है।
9. ठेकेदारों को निविदा के साथ 100/— के स्टाम्प पर स्व0 घोषणा पत्र नोटरी से सत्यापित करा कर लगाना होगा।
10. न0पं0 द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य किया जायेगा। स्थल पर बढे हुये कार्य का भुगतान न0पं0 द्वारा नहीं किया जायेगा।
11. किसी भी ठेकेदार/संस्था द्वारा उक्त कार्यों को कराये जाने हेतु लगाये जाने वाले मजदूरों/मिस्त्रियों/कार्मिकों से सम्बन्धित ई0पी0एफ0/श्रम विभाग/अन्य किसी भी विभाग से सम्बन्धित दावे/आपत्तियों का निस्तारण सम्बन्धित ठेकेदार/संस्था द्वारा अपने निजी व्यय पर किया जायेगा। उक्त कार्यों को कराने वाली फर्मों/संस्थाओं/ठेकेदारों द्वारा लगाये जाने वाले मजदूरों/मिस्त्रियों/कार्मिकों आदि की सुरक्षा/स्वास्थ्य प्रबन्ध के समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्मों/संस्थाओं/ठेकेदारों के होंगे। नगर पंचायत किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगी।
12. उक्त निविदा सूचना www.bareilly.nic.in पर क्लिक करके देखी जा सकती है।
13. समय—समय पर जारी शासनादेश का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
14. कोविड—19 के दृष्टिगत कार्य में संलग्न मजदूर नगर की सीमा के ही होंगे एवं सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करते हुए कार्य कराना होगा।
15. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में देखी जा सकती हैं।

15-10-2020 सूरजपाल मौर्य

(शिव पूजन सिंह)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत बिशारतगंज, बरेली।

(सूरजपाल मौर्य),
अध्यक्ष
नगर पंचायत बिशारतगंज, बरेली।

प्रतिलिपि—

1. सम्पादक हिन्दी दैनिक ....दैनिक जागरण.... व ....दैनिक हिन्दुस्तान.... एवं ....दैनिक अमर उजाला.... समाचार पत्र बरेली को उक्त निविदा का प्रकाशन न्यूनतम स्थान में अपने समाचार पत्र में एक दिवस प्रकाशित कराने के उपरान्त तीन प्रतियों के साथ बिल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।
2. एन0आई0सी0 कलैक्ट्रेट बरेली को वेबसाइट पर ऑनलाईन अपलोड करने हेतु।

15-10-2020 सूरजपाल मौर्य

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत बिशारतगंज, बरेली।

अध्यक्ष
नगर पंचायत बिशारतगंज, बरेली।